आदेश क्रमांक/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित
1	2	3
04.08.09	**न्यायालय उपायुक्त, खूँटी** अधिग्रहण वाद संख्या 10R28/08-09 **सरकार-अपीलकर्त्ता** **बनाम** **सरयु साह एवं अन्य-विपक्षी** **आदेश** यह वाद पुलिस अधीक्षक, खूँटी के पत्रांक 267/अप0शा0 दिनांक 30.04.08 के द्वारा तोरपा थाना कांड संख्या 48/07 दिनांक 11.12.07 के आधार पर विपक्षी को वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के अन्तर्गत कारण पृच्छा नोटिस निर्गत कर अनुमंडल पदाधिकारी, खूँटी जब्त किरासन तेल की नियमानुसार बिक्री कर विक्रय राशि कोषागार, खूँटी में जमा कर चालान की प्रति की मांग की गयी। वाद के प्रारंभ से विपक्षी के द्वारा ना तो उपस्थिति दी गयी और ना ही कारण पृच्छा दाखिल किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, खूँटी से जब्त किरासन तेल की नियमानुसार बिक्री कर चालान की प्रति संलग्न है। अपीलकर्त्ता ने सरकारी किरासन तेल के हेराफेरी एवं कालाबाजारी की सूचना मिलने पर जन वितरण प्रणाली के दुकानदार 1.सरयु शाह 2.परशुराम शाह दोनों पे0 हुसेनी साह, साकिन तोरपा, थाना तोरपा के दुकान में छापामारी के क्रम में जब्ती सूची के अनुसार बालाबाजारी हेतु रखे गये 545 लीटर किरासन तेल स्थानीय कृष्णा साहू, पिता स्व0 रामचन्द्र साहू, ग्राम सुन्दारी, थाना तोरपा द्वारा जिम्मानामा बनाकर जिम्मा कर दिया गया है तथा आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी द्वारा किरासन तेल उंचे मूल्य पर बिक्री हेतु रखा गया था जो व्यापरिक वस्तु (अनु0 पत्र एकीकरण) आदेश 1984 की कंडिका 3 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अत: अधिग्रहण करने हेतु अनुरोध किया गया है। अपीलकर्त्ता के द्वारा बहस के दौरान जब्त सामग्री का अधिगृहित करने हेतु कहा गया। अपीलकर्त्ता के अधिवक्ता का बहस सुना तथा अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि	(5)

आदेश क्रमांक/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित
1	2	3
	विपक्षी वाद के प्रारंभ से एक दिन भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी को इस वाद में कोई रूचि नहीं है। अतः अनुमंडल पदाधिकारी, खूँटी को आदेश दिया जाता है कि जब्त 545 लीटर किरासन तेल का निलामी कराकर प्राप्त राशि को सरकारी खजाने में जमा करें। लेखापित एवं संशोधित। 5/8/19 उपायुक्त, खूँटी। 5/8/19 उपायुक्त, खूँटी।	Seen ext. App.